संख्या-4/73/84-1-15-सीपी-2/2007टी.सी.

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 20 जनवरी, 2015

विषय- जिला फोरमों के सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता फोरम फिरोजाबाद के अधूरे भवनों के निर्माण को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4228/एस.सी.डी.आर.सी.केस@2007 दिनॉक 11-12-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला उपभोक्ता फोरम फिरोजाबाद के भवन निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग लखनऊ द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 63,48,000/- के आधार पर अवशेष् धनराशि रू0 43,48,000/- के सापेक्ष शासनादेश संख्या-107/1088/84-1-सीपी16-2/2007टीसी दिनांक' 29-10-2014 द्वारा रू0 21,39,000/- की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार द्वारा जिला फोरमों के भवनों के निर्माण के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 1,34,00,000/- के सापेक्ष जिला फोरम फिरोजाबाद हेतु उपलब्ध् करायी गयी धनराशि रू0 20,00,000/- (बीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त आहरित की जाने वाली धनराशि सुसंगत नियमों एवं जिस मद में स्वीकृत की गई है, के अधीन ही व्यय की जायेगी। उक्त भवन निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से प्रतिमाह शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) निर्माण के समय क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/राज्य आयोग का होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(3) भविष्य में प्रश्नगत कार्यो हेतु पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा तथा यह कार्य 31 मार्च, 2015 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-राज्य उपभोक्ता आयोग तथा जिला उपभोक्ता फोरम भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-14-231/2014, दिनांक 22-7-2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 4 /73(1)/84-1-15-तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम सम्प्रति यू0पी0 स्टेट कांस्टक्शन एण्ड इन्फरास्टक्चर डेवलेपमन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
8- उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।